2020/00248

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्री घीसूलाल c/o श्री जीवाराम जाति मेघवाल निवासी बाबा रामदेव मन्दिर के पीछे, रामपुरा जिला सिरोही।		सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005**

मुकदमा नं. 50 वर्ष 2020

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
1[illegible].08.2020	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सिरोही को दिनॉक 09.09.2019 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि उसके द्वारा सूचना के अधिकार के तहत सूचना प्राप्ति हेतु दस्ती आवेदन किया था उस पर हुई कार्यवाही से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं । मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा नहीं कराये है। अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सिरोही को दिनॉक 09.09.2019 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि उसके द्वारा सूचना के अधिकार के तहत सूचना प्राप्ति हेतु दस्ती आवेदन किया था उस पर हुई कार्यवाही से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अपीलांट के अपील मीमो से यह ज्ञात नहीं होता है कि उसके द्वारा क्या सूचना चाही गई थी एवं निर्धारित शुल्क जमा नहीं कराया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्वीकार करने का कोई उचित आधार प्रतीत नहीं होता है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जाती हैं । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । (भगवती प्रसाद) **जिला कलक्टर, सिरोही**	306-7 13/8/20

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.01.12 16:49:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner